

अतिमहत्वपूर्ण

पत्रांक: 1187 /22(2)-1/पेंशन/नि.को.वि.से./2010

प्रेषक,

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड
23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला
देहरादून

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक/कोषागार अधिकारी
उत्तराखण्ड।

दिनांक 04 अक्टूबर, 2010

विषय: दिनांक 09-11-2000 के पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 09-11-2000 के पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु विहित प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/पेंशनर्स संगठन/कोषागारों द्वारा मार्ग दर्शन मांगा गया है। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड द्वारा समय समय पर निर्गत निम्नलिखित शासनादेशों में विहित प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश -

- 1- शासनादेश संख्या-1135/पांच-6-2001-294/96, दिनांक 27 जून, 2001
- 2- शासनादेश संख्या-1209/पांच-6-2004-294/96, टी0सी0, दिनांक 09 अगस्त, 2004
- 3- शासनादेश संख्या-3531/5-6-04-294/96, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004

उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत शासनादेश -

- 1- शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04 सितम्बर, 2006
- 2- शासनादेश संख्या-503/XXVII(7)/2010, दिनांक 26 मई, 2010
- 3- शासनादेश संख्या-585/XXVii(7)/2010, दिनांक 08 जून, 2010
- 4- शासनादेश संख्या-546/XXVIII-3-2010-437/2002टी0सी0, दिनांक 03 अगस्त, 2010
- 5- शासनादेश संख्या-636/XXVIII-3-2010-437/2002(टी0सी0-1), दिनांक 20 अगस्त, 2010
- 6- शासनादेश संख्या-670/XXVII(7)/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010

कृपया इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(जी0 के0 पन्त)

निदेशक